राजस्थान सरकार

परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग

क्रमांक : प.7(94)परि/नियम/मु./2020/10156 जयपुर, दिनांक : 12-05-2022

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव
समस्त विभागाध्यक्ष ।

विषय : राजकीय विभागों/निगमों एवं स्थानीय निकायों द्वारा अनुबंध के आधार पर किराये पर लिये जाने वाले वाहनों के संबंध में निर्देश।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रायः सभी राजकीय विभागों/निगमों एवं स्थानीय निकायों द्वारा राजकीय अथवा अन्य कार्यो हेतु कई निजी फर्म अथवा व्यक्तियों के माध्यम से मोटर कैब/मैक्सी कैब अनुबंध कर किराये पर लिया जाता है।

मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 50 के अनुसार वाणिज्यिक उपयोग में आने वाले परिवहन श्रेणी के वाहनों का रजिस्ट्रीकरण प्लेट पर पंजीकरण चिन्ह पीली पार्श्वभूमि (background) पर काले अक्षरों में अंकित होगा एवं परिवहन श्रेणी के बैटरी चलित वाहनों पर पर हरे रंग की पार्श्वभूमि (background) पर पीले अक्षर होगें। विभाग के संज्ञान में आया है कि कतिपय मोटर टैक्सी कारों की रजिस्ट्रेशन प्लेट निजी वाहन की तरह सफेद पार्श्वभूमि (background) पर काले अक्षरों में लिखी होती है। यह स्थिति नियमों के विपरीत है, अतः अनुरोध है कि आपके अधीनस्थ अधिकारियों को समुचित निर्देश प्रदान करें कि उनके पास प्रयुक्त होने वाली टैक्सी गाड़ियों की नम्बर प्लेट नियमानुसार (पीली पार्श्वभूमि पर काले अक्षरों में अंकित) लगी हुई हो।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 39 के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण प्लेट प्रदर्शित किये जाने की रीति के संबंध में केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 50 एवं 51 में वर्णित प्रावधानों की अवहेलना किये जाने पर ऐसे वाहन के विरूद्व वाहन को बिना पंजीयन मानते हुए उक्त अधिनियम की धारा 192(1) के तहत अपराध दर्ज कर कार्यवाही की जायेगी। अतः समस्त विभागो द्वारा उपयोग में लिये जा रहे ऐसे वाहनों के संबंध में मोटर वाहन नियमों के उपरोक्त प्रावधानों की पालना किया जाना सुनिश्चित करावें।

भवदीय

11/5/2022

(कन्हैया लाल स्वामी)
आयुक्त परिवहन एवं
सड़क सुरक्षा विभाग

Scanned with CamScanner